

CE(E)

0.9.11.20
मुख्य अभियन्ता
लो. नि. वि.

3460

10/11/22

SSO(E)-D
10/11/22

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाता)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या: 3224/III(1)/2022-24509/EST/14/2022
देहरादून: दिनांक 09 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से जनहित में श्री निर्भय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग, जो रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं, को उनके वर्तमान तैनाती स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग से स्थानान्तरित करते हुये अधिशासी अभियन्ता के पद पर राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर में नियमित रूप से तैनात किया जाता है।

2- श्री निर्भय सिंह को निर्देशित किया जाता है कि नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

पू0 संख्या: 3224/III(1)/2022-24509/EST/14/2022, तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्डशासन।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 7- प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में स्थानान्तरण आदेश की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अविलम्ब अंकित कर दी जाए, ताकि इसका भविष्य में सेवा सम्बन्धी लाभों की अनुमन्यता के समय संज्ञान लिया जा सके।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान न करने की दशा में उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान पर रोक दिया जाय।
- 10- नियंत्रक प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करें।
- 11- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन न किये जाने अथवा अनुपालन में अनावश्यक रूप से विलम्ब किये जाने की दशा में इसे शासन के आदेशों की अवहेलना/अनुशासनहीनता माना जायेगा तथा इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- 12- विभागीय आदेश पंजिका।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

11/11/2022

पत्रांक 1729 / 34व्यक-स्था0-सा0 / 22

दिनांक:- 11/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. संबंधित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 10वां रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग/श्रीनगर।
6. श्री निर्भय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
7. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

11/11/2022

अधिशायी अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
विभागाध्यक्ष, रा0मा0
लो0नि0वि0, देहरादून